

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून ।

पत्रांक:- १०५ / प्र०अ० / का०-१ / ई-५ / स्था-२०२५,

दिनांक: ०४ / ०३ / २०२५

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ (वर्ष २०२५), अधिसूचना संख्या-१२/XXXVII(३)/२०१८/२०(१)/२०१७, दिनांक ०५.०१.१८ की धारा १६(१) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सिंचाई विभाग के समूह "ख" के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण-२०२५ किये जाने हेतु समिति का गठन एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

- १ प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून । - अध्यक्ष
- २ मुख्य अभियन्ता स्तर-२ (यॉत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून । - सदस्य
- ३ प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता । - सदस्य
- ४ वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून । - सदस्य

सुभाष चन्द्र  
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक:- / प्र०अ० / का०-१ / ई-५ / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
२. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त स्थानान्तरण समिति हेतु अपने विभाग के अधीक्षण अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी को नामित कर उनके मोबाईल नं० सहित सूचित करने का कष्ट करें ।
३. मुख्य अभियन्ता स्तर-२ (यॉत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
४. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
५. प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेशों को आज ही उत्तराखण्ड वेबसाइट में प्रदर्शन करने की समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
६. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)  
कृते प्रमुख अभियन्ता